

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुरआदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4894/आ०लि०-1 /2020 दिनांकित 26/06/2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि उपजिलाधिकारी सैदपुर एवं उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद तथा मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त दोनों ही वाह्य न्यायालय सम्प्रति उक्त द्वय क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव केस प्रकाश में आने के दृष्टिगत उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में कंटेनमेंट जोन की परिधि में है, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June 2020 के द्वारा न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में दी गई गाइडलाइन के पैरा- 14 के आलोक में वाह्य न्यायालय मुहम्मदाबाद को कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए बन्द किये जाने का आदेश दिनांक 27/06/2020 को दिया गया था।

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 4935/ आ०लि०-1/2020 दिनांकित 04-07-2020 के माध्यम से जफरपुरा वार्ड सं-05, नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद गाजीपुर सहित जनपद के अन्य क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन से बाहर होने की सूचना मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर की आख्या दिनांक 03/07/2020 के आलोक में निर्धारित अवधि में कोई अन्य कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त न होने के परिप्रेक्ष्य में दी गई है।

तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में दी गई गाइडलाइन के आलोक में वाह्य स्थित समस्त न्यायालय/ कार्यालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर दिनांक 06/07/2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेंगे। चूँकि जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांक 04-07-2020 को प्राप्त हुआ है तथा दिनांक 05-07-2020 को रविवार अवकाश है। अतः वाह्य स्थित समस्त न्यायालय/ कार्यालय मुहम्मदाबाद, गाजीपुर दिनांक 06/07/2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेंगे।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षित किया जाता है कि प्रतिदिन वाह्य न्यायालय परिसर मुहम्मदाबाद को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग कराते हुए दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर, वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद के पीठासीन अधिकारी तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/ महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उक्त के बाबत सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी प्रेषित हो।

दिनांक- 04-07-2020

*(राघवेंद्र)* 4/7/20  
जनपद न्यायाधीश,  
गाजीपुर।